

प्रारूप - 18परियोजना का नाम - भटाड पेयजल योजनाकार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रयोजन एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण शाखा, उत्तर प्रदेश पेयजल निगम,
विकासनगर, मिर्जापुर जिला-01

ह0/-
प्रामाणिक वनाधिकारी

वन विट अधिकारी लखनौ

वन क्षेत्राधिकारी
बावर रेंज
दिल्हाड / कण्डोला